भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2004

सं. 1—29/2004—बी एंड सीएस.— भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खण्ड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल संख्या 13—1/2004— आरईएसटीजी से निर्गत दिनाँक 9.1.2004 की अधिसूचना संख्या 39 [सं. का. आ. 44 (अ) तथा 45 (अ)] के साथ पठित दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैरा (ii), (iii) तथा (iv) तथा, उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग कर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदे ा जारी करती है :

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**

(i) यह आदे ा "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा 2004 (2004 का 6) कहा जाएगा।

(ii) यह आदे ा संपूर्ण भारत में लागू होगा।

(iii) यह आदे ा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाशा**

(क) **'ब्राडकास्टर'** का आ ाय निजी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह सहित कई व्यक्ति, पब्लिक या कारपोरेट निकाय, फर्म या कोई संगठन या बाडी, जो ब्राडकास्टिंग सेवा प्रदान कर रही है, से है। इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी भाामिल हैं।

(ख) **'ब्राडकास्टिंग सेवाओं'** का आ ाय आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पहुंचाने के इरादे से सभी प्रकार के चिह्न, सिग्नल, लेख, चित्र, बिम्ब तथा ध्वनि का स्पेस अथवा केबल से इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगों का ट्रांसमि ान करना है और इसके सभी व्याकरणिक रूपान्तरण तथा सम्बद्ध अभिव्यक्ति तद्नुसार इसमें भाामिल होंगे।

(ग) **'केबल ऑपरेटर'** का आ ाय ऐसे व्यक्ति से है, जो केवल टेलीविजन नेटवर्क से केबल सेवा मुहैया कराता है या अन्यथा, केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधन को नियंत्रित कराता है या उसके लिए जिम्मेदार होता है।

(घ) **'केबल सेवा'** का आ ाय कार्यक्रमों का केबल द्वारा ट्रांसमि ान है। इसमें किसी ब्राडकास्ट टेलीविजन सिगनल का केबल द्वारा रि–ट्रांसमि ान भी भाामिल है।

(ङ) **'केबल टेलीविजन नेटवर्क'** का आ ाय किसी ऐसी प्रणाली से है जिसमें मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्त करने के लिए क्लोज्ड ट्रांसमि ान पाथ तथा एसोसिएट सिगनल जनरे ान केबल सेवा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित नियंत्रण तथा वितरण उपकरण हों।

(च) **'प्रभार'** का आ ाय उस दर (कर छोड़कर) से है, जो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 26 दिसम्बर, 2003 को किए गए लिखित/मौखिक करार के कारण देय है। 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद लिखित/मौखिक करार का सिद्धांत दर की सीमा के निर्धारण के लिए लागू किया जाना चाहिए।

(छ) **'फ्री टू एयर चैनल'** का आ ाय ऐसे चैनल से है जिसके लिए ब्राडकास्टर को केबल अथवा स्पेस से इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों, जिन्हें वह आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षः पहुंचाने का इरादा रखता हो, के माध्यम से अपने ऐसे रि–ट्रांसमि ान के लिए कोई भाुल्क या भुगतान नहीं किया जाता है।

(ज) **'मल्टी सिस्टम ऑपरेटर'** का आ ाय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो ब्राडकास्टर और/ अथवा उनके प्राधिकृत एजेंसियों से ब्राडकास्टिंग सेवा प्राप्त करता है और जो उसे उपभोक्ताओं और/ या एक या एक से अधिक केबल ऑपरेटर को रि–ट्रांसमिट करता है।

(झ) **'पे चैनल'** का आ ाय ऐसे चैनल से है, जिनके लिए ब्राडकास्टर को स्पेस अथवा केबल के माध्यम से आम जनता तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कार्यक्रम पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों के रि–ट्रांसमि ान के लिए भाुल्क का भुगतान किया जाता है।

3. **टैरिफ**

निम्न द्वारा देय प्रभार, कर छोड़कर

(क) केबल सब्सक्राइबर से केबल ऑपरेटर

(ख) केबल ऑपरेटर से मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) और

(ग) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से ब्राडकास्टर (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित)

'फ्री टू एयर' तथा 'पे चैनल' दोनों के मामले में 26 दिसम्बर, 2003 को मौजूद दर अधिकतम सीमा होगी।

परन्तु भार्त यह है कि, यदि कोई नया 'पे चैनल' जिसे 26.12.2003 के बाद भुरू किया जाता है अथवा कोई चैनल जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल हो और जिसे बाद में 'पे चैनल' में बदला जाता है तो ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है और यदि नए चैनल की व्यवस्था स्टेंड अलोन आधार पर अलग से अथवा अलग नए समूह के रूप में की जाती है और नया चैनल किसी खास ब्राडकास्टर द्वारा 26.12.2003 को प्रदान किए जा रहे समूह में भाामिल नहीं किया जाता है तो ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी नए चैनल की दरों तक की जा सकेगी। नए पे चैनल तथा वे चैनल जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल थे, परन्तु बाद में पे चैनल बन गए उनके लिए दर इसी प्रकार के चैनलों के लिए 26.12.2003 को उपलब्ध दर के समान रहेगी।

इसके अलावा यदि कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर पे चैनलों की संख्या 26.12.2003 को दिखाए जाने वाले पे चैनलों की संख्या से कम करता है तो अधिकतम प्रभार को इसी प्रकार के पे चैनलों के लिए 26.12.2003 को लागू दरों को ध्यान में रखकर कम किया जाएगा।

4. रिपोर्टिंग की आवयकता

ऐसे नए चैनलों जिन्हें 26.12.2003 को भुरू किया गया अथवा किसी ऐसे चैनल, जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल था और जिसे बाद में 'पे चैनल' बनाया गया, के ब्राडकास्टर प्राधिकरण का उन दरों के बारे में इस आदे ा के अनुसूची – I में सूचना देगा। यह सूचना इस आदे ा के प्रभावी होने की तिथि के अथवा नए चैनल के प्रारंभ होने या फ्री टू एयर चैनल के पे चैनल बनने, जो भी लागू हो, के सात दिनों के भीतर दी जाएगी।

5. निरस्तीकरण

15 जनवरी 2004 का टेलीकम्यूनिके ान (ब्राडकास्टिंग एवं केबल) सर्विसेज टैरिफ आर्डर 2004 इसके सं ोधनों सहित एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

6. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदे ा के अनुलग्नक 'क' में इस आदे ा को जारी करने के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन दिए गए हैं:

आदे ाानुसार,
डॉ0 हर्श वर्धन सिंह, सचिव–सह–प्रधान–सलाहकार
[विज्ञापन III/IV/142/04/असा.]

अनुलग्नक – 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने 15.1.2004 के टीटीओ के द्वारा 26 दिसम्बर 2003 को मौजूद दर को दरों की उस अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे केबल सब्सक्राइबर केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ब्राडकास्टर को भुगतान करेगा।

2. बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नए पे चैनलों के कीमत निर्धारण के तरीके तथा फुटकर कीमतों में उसके प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इसी प्रकार, उन चैनलों को 'पे चैनल' के बदलने के प्रभाव के बारे में भी स्पश्टीकरण मांगे गए हैं, जो 26 दिसम्बर, 2003 को 'फ्री टू एयर' चैनल थे।

3. प्राधिकरण ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। चूंकि बाजार में नए चैनल आ रहे हैं इसलिए इन नए चैनलों के कीमत निर्धारण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की जानी है। साथ ही, 15.1.2004 के टैरिफ आदे ा द्वारा ग्राहकों को प्रदत्त सुरक्षा को भी बनाए रखने की जरूरत है। निर्धारित अधिकतम सीमा को कायम रखने के लिए यह नि चय किया गया है कि 26.12.2003 के बाद भुारू किए गए 'पे चैनल' को 26.12.2003 को मौजूद चैनल समूह का भाग बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार का नियम उन चैनलों के लिए भी लागू किया जाएगा जो 26.12.2003 को 'फ्री टू एयर' चैनल थे, परन्तु बाद में जिन्हे 'पे चैनल' बना दिया गया। आ ा की जाती है कि इससे ऑपरेटरों को और उनके माध्यम से उपभोक्ता को भी विकल्प मिलेगा।

4. इन नए चैनलों की पे ाक ा अलग–अलग या ऐसे चैनल समूह के रूप में की जाएगी जिनके लिए 15.1.2004 टैरिफ आदे ा में अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार उन ग्राहकों के लिए जो नए 'पे चैनल' प्राप्त नहीं करते हैं, पहले से निर्धारित अधिकतम सीमा जारी रहेगी। जहां उपभोक्ता नए 'पे चैनल' प्राप्त करता है, उन मामलों में वह सीमा जिस तक ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है, वह नए चैनल की दरों तक सीमित रहेगी।

5. प्राधिकरण ने 26.12.2003 के बाद भुारू किए गए नए चैनलों अथवा उन चैनलों के लिए जो 26.12.2003 को 'फ्री टू एयर' थे और जो बाद में 'पे चैनल' बन गए, के लिए अधिकतम कीमत सीमा निर्धारित करने के प्र न पर विचार किया है। उपभोक्ता के लिए नए चैनल के प्रभार निर्धारित करना कठिन है क्योंकि इन कीमतों में काफी बड़ा अन्तर है और इन्हें लागत से सम्बद्ध

करना भी कठिन है। इसके अलावा यह एक स्थानीय मुद्दा है जिसको केन्द्रीय रूप से विनियमित करना आसान नहीं है। सब्सक्राइबर आधार पर निर्धारण करने के लिए दे ा के विभिन्न भागों में कीमत भिन्न–भिन्न पद्धतियों से विभिन्न प्रणालियों पर आधारित की जाती है। इनमें से काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि इन पर कार्रवाई करने का ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए तथा अंतःसंयोजन करार अधिक पारद ी बनाया जाए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार को अलग से सिफारि ों भेजी हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न स्थितियों में 'एड्रेसिबिलिटी' का फ्रेमवर्क दिया गया है। बहरहाल इस बीच कीमतों का विनियमन किया जाना होगा। यह सं ाोधित टैरिफ आदे ा ऐसे विनियमन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

6. इस प्रकार प्राधिकरण ने उन चैनलों के लिए जो 26.12.2003 को मौजूद थे, अधिकतम सीमा समाप्त नहीं की है। नए भाुरू किए गए 'पे चैनल' और ऐसे 'फ्री टू एयर' चैनल, जिन्हें बाद में 'पे चैनल' बनाया गया, के बारे में प्राधिकरण आ ाा करता है कि इन चैनलों की दरें इसी प्रकार के चैनलों के लिए 26.12.2003 को उपलब्ध दर के समान रहेंगी। अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ब्राडकास्टर प्राधिकरण को इन चैनलों के प्रभार के बारे में इस आदे ा की अनुसूची – **I** में सूचना देंगे। यह सूचना इस आदे ा के प्रभावी होने की तिथि अथवा नए 'पे चैनल' के प्रारंभ होने या 'फ्री टू एयर' चैनल का 'पे चैनल' बनने, जो भी लागू हो, की तिथि के 7 दिन के भीतर दी जानी होगी। सूचना की समीक्षा के बाद यदि आव यक हुआ तो प्राधिकरण इस पर हस्तक्षेप करेगा।

7. प्राधिकरण ने इस पर भी विचार किया कि यदि कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर 26 दिसम्बर, 2003 को द ाीए जाने वाले पे चैनलों की तुलना में संख्या कम भी कर सकता है, इस संबंध में प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ऐसी स्थिति में अधिकतम प्रभार 26.12.2003 को इसी प्रकार के चैनलों की दरों को ध्यान में रखकर कम किया जाएगा। किसी भी प्रकार की ि ाकायत की स्थिति में यदि आव यक होगा तो प्राधिकरण हस्तक्षेप करेगा।

8. संदर्भ की सहूलियत के लिए 15.1.2004 के पूर्ववर्ती आदे ा और इसके सभी सं ाोधनों को निरस्त करते हुए एक स्वतः स्पश्ट आदे ा जारी किया गया है, परिणामस्वरूप अब जारी किया गया आदे ा, सभी पूर्ववर्ती आदे ाों, सं ाोधनों तथा स्पश्टीकरणों का स्थान लेगा।

अनुसूची – **I**

26.12.2003 के बाद प्रारंभ हुए नए चैनल अथवा 'फ्री टू एयर' चैनलों का 'पे चैनल' बनने पर ब्राडकास्टर द्वारा ट्राई को दरों की रिपोर्टिंग का फार्मेट

(टेलीकम्यूनिके ान (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवा (दूसरा) टैरिफ आदे ा 2004 की धारा 2 देखें)

1. (क) चैनल का नाम

   (ख) चैनल की किस्म
   (जैसे कि मनोरंजन, खेलकूद, सिनेमा आदि)

2. (क) चैनल की भाशा

   (ख) लक्षित लोग
   (राश्ट्रीय या क्षेत्रीय, यदि क्षेत्रीय हो तो राज्य का उल्लेख हो)

3. क्या चैनल पूरे दे ा में पे चैनल है या दे ा के किसी भाग में (राज्यों का उल्लेख यदि दे ा के किसी भाग में हो)

4. (क) क्या यह एक अलग चैनल होगा या चैनल समूह का एक चैनल

   (ख) यदि समूह से सम्बद्ध हो तो अन्य चैनलों का नाम

   (ग) समूह में चैनल के मालिक का नाम

5. (क) चैनल की दर, यदि अलग चैनल के रूप में प्रस्तुत हो

   (ख) चेन्नै में चैनल दर

6. (क) समूह दर, यदि समूह के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है

   (ख) समूह में भाामिल चैनलों के मालिकों के बीच राजस्व की हिस्सेदारी

7. (क) संभावित विज्ञापन राजस्व

   (ख) यदि चैनल एफटीए चैनल में मौजूद है, पिछले तीन वर्शों में राजस्व

8. उपभोक्ता टैरिफ पर संभावित प्रभाव